सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/SER-1022/MRLY/1/2023-RO-JPR-RU-IV

दिनांक :17.09.2025

सेवा मे,

महाप्रबंधक,
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जवाहर सर्किल के पास,
मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान – 302017
E.mail: gm@nwr.railnet.gov.in

विषय: उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन
द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को प्रताडित करने व अनावश्यक रूप से परेशान करने के संबंध में श्री - राम रतन मीणा, कार्यालय अधीक्षक, वेतन अनुभाग, उ.रे.प., जयपुर का अभावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री राम रतन मीणा,
कार्यालय अधीक्षक,
मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उतर पश्चिम रेलवे -, पॉवर हाउस रोड ,
जयपुर -302006 राजस्थान
मो 9252233473

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-1022/MRLY/1/2023-RO-JPR

मानसिक प्रताड़ना देने व अनावश्यक रूप से परेशान करने के संबंध में - श्री राम रतन मीणा, कार्यलय अधीक्षक (वेतन अनुभाग), मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय उत्तर - पश्चिम रेलवे, पॉवर हाउस रोड , जयपुर का दिनांक 07.06.2023 का अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 05.08.2025 को अपराह्न 02:00 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त ।

सिटिंग की दिनांक: 05.08.2025 को 02:00 बजे

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागीः अनुलग्नक-I के अनुसार।

याचिका में प्रार्थी श्री राम रतन मीणा, कार्यलय अधीक्षक (वेतन अनुभाग), मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय उत्तर - पश्चिम रेलवे, पॉवर हाउस रोड, जयपुर ने अभ्यावेदन दिनांक 07.06.2023 में अवगत कराया है कि उत्तर- पश्चिम रेलवे एवं महा प्रबंधक कार्यालय के अधिकारीगण विशेषकर विजलेंस एवं मण्डल कार्यालय जयपुर के कार्मिक विभाग के अधिकारीगण आपस में एकराय होकर मिलीभगत करके प्रार्थी को मानसिक रूप से बिना किसी कारण प्रताड़ित करते हुए परेशान कर रहे हैं. प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्यवाहियों एवं अनावश्यक रूप से किये गए स्थानानतरण की जाँच करवाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि प्रार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सके। साथ ही उन्होने बताया की मई 2019 और मई 2021 में मनगढ़ंत चार्जशीटें जारी कर प्रार्थी से कुल ₹48,809/- की अवैध वसूली एवं आर्थिक हानि पहुँचाई गई, जिससे प्रार्थी मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव का शिकार हुआ। 30 माह से शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अधिकारी दोषियों को बचा रहे हैं। प्रार्थी को तत्काल ₹48,809/- की राशि वापस दिलाई जाए तथा दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही हो।

2. आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस दिनांक 21.07.2021 जारी कर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे एंव प्रधान निदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया था। आयोग मुख्यालय द्वारा पुनः नोटिस दिनांक 28.08.2023 महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया था |

3. आयोग द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जारी किये गए नोटिस के जवाब में उप मुख्य कार्मिक अधि./आरपी. एवं कृते महाप्रबंधक/कार्मिक से प्राप्त पत्र संख्या 785ई (एससीटी)/01/130(2)/2023 दिनांक 12-10-2023 में तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की गई थी जिसको आयोग के पत्र दिनांक के माध्यम से 30-10-2023 द्वारा याचिकाकर्ता श्री राम रतन मीणा को संतुष्टि हेतु भेजा गया था । जिसके जवाब में प्रार्थी ने पत्र दिनांक 01.02.2025 द्वारा बिन्दुवार अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि रेल प्रशासन द्वारा माननीय आयोग को मनघढन्त, भ्रमित करने व गुमराह करने वाला जवाब भेजा है, प्रार्थी इस तरह के मनघढन्त, भ्रमित करने व गुमराह करने वाले जवाब से संतुष्ट नहीं है।

4. शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रत्युत्तरों को आयोग के पत्र दिनांक 19.03.2025 के माध्यम से संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया, जिसके संबंध में वर्तमान में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2025 को सिटिंग निर्धारित की गयी। सिटिंग नोटिस दिनांक 30.07.2025 को भेजा गया ।

आशा लकड़ा

5. सुनवाई के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, उपस्थित रहे। आवेदक श्री रामरतन मीना भी उपस्थित थे।

6. सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग को मामले से संबन्धित सभी तथ्यों से अवगत कराया गया एवं शिकायतकर्ता द्वारा अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया ।

दोनों पक्षो को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

(i) आवेदक ने आयोग को अवगत कराया कि उनका बार-बार स्थानांतरण किया जा रहा है, जो उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। अतः भविष्य में उनका स्थानांतरण निर्धारित न्यूनतम अवधि से पूर्व न किया जाए तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियमसम्मत एवं पारदर्शी तरीके से अपनाया जाए।

(ii) सुनवाई के दौरान रेलवे प्राधिकरणों ने आयोग को बताया कि रेलवे बोर्ड के आर.ओ.पी. के अनुसार वरिष्ठ प्राधिकारी के मौखिक आदेशों का पालन किया जा सकता है। तथापि,आवेदक को सुझाव दिया जाता है कि यदि किसी प्रकार की शंका या समस्या हो तो वह कार्यालय कार्य हेतु स्पष्ट और औपचारिक लिखित आदेश प्राप्त करें जा सकते है। आर.ओ.पी. के प्रावधान भी ऐसी स्थिति में लिखित आदेश माँगने की अनुमति देते हैं, जिससे मौखिक आदेशों के आधार पर मनमाने या अनुचित कार्य कराए जाने की संभावना से बचा जा सके।

आशा लकड़ा
26/08/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1022/MRLY/1/2023-RO-JPR-RU-IV

Sitting to be held on **05.08.2025 at 02.00 P.M-** उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को प्रताडित करने व अनावश्यक रूप से परेशान करने के संबंध में - **श्री राम रतन मीणा,** कार्यालय अधीक्षक, वेतन अनुभाग, उ.प.रे., जयपुर का दिनांक 07-06-2023 को अभावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri Rahul Investigator		
4.	Ms. Riya Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o General Manager, North Western Railway, Jaipur**		
1.	विनोद कुमार, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन	9001195601	[signature]
2.	राजेन्द्र कुमार मीणा/ उप मुख्य का. अ./ [illegible]	9001195606	[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	रामरतन मीणा [illegible]	9252233453	[signature]